[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- (1) ये नियम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2020 1. हैं।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) में, "पाँच माह" शब्दों के स्थान पर "सात माह" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 8/4/2018-सीएल-I, पार्ट-1] दे. वी उसार मीते (के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें दिनांक 28 फ़रवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145(अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधन किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 29 April, 2020

- G.S.R. (E). In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Second Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6, in sub-rule (1), in clause (a), for the words "five months" the words "seven months" shall be substituted.

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I]

(K.V.R. MURTY)

Joint Secretary to the Government of India

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended vide notification number G.S.R. 145 (E), dated the 28th February, 2020.